RBE NO: 43/11

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA)
(RAILWAY BOARD)

.....

NO:E(G) 2006 QR 1-14 **New Delhi, Dated: 5 .04.2011**

The General Managers,
All Indian Railways &
Production Units.(As per standard list)

Sub: Retention of Railway accommodation on educational grounds – definition of "end of academic/scholastic session".

Ref: Board's letter No.E(G) 2006 QR1-14(C) dated 20-11-2006, E(G) 85 QR1-9 dated 15-01-90 and E(G) 2006 QR1-14 dated 12-11-2007.

Attention is invited to the contents of Railway Board's letter No:E(G) 2006 QR 1-14 dated 12-11-2007 where the matter regarding retention of accommodation on educational grounds was reiterated as under;

"Retention of Railway accommodation in the event of permanent transfer is permitted on educational grounds to cover the current academic session. The academic/scholastic session has been defined as the academic course ending with annual examination. This aspect has been reviewed and in partial modification of instructions contained in letter No:E(G)85 QR 1-9 dated 15.01.90, it has been decided that for the purpose of retention of Railway accommodation, the end of academic/scholastic session shall mean "last paper of annual examination plus fifteen days time."

The matter regarding re-iteration of the existing instructions was discussed in the DC/JCM vide item No.2/2009 and as decided the instructions are re-iterated as under:

"In the event of permanent transfer retention of Railway accommodation is allowed on educational ground to cover the current academic session only (i.e. end of the academic/scholastic session) plus 15 days. The end of academic/scholastic session shall, in this case, mean "last paper of annual examination".

This issues with the concurrence of Finance Directorate of the Ministry of Railways.

Please acknowledge receipt.

(MADAN LAL)
JT. DIR. ESTT. (GENL.)

draft do

आरबीई सं.________

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. ई(जी) 2006 क्यूआर 1-14 **नई दिल्ली, दिनांक: .03.2011**

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें एवं
उत्पादन इकाइयां (मानक सूची के अनुसार)

विषय: शैक्षिक आधार पर रेल आवास अपने पास रखना - "अकादमिक/शैक्षिक सत्र की समाप्ति" संबंधी परिभाषा।

संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 20.11.2006 का पत्र सं. ई(जी)2006 क्यूआर 1-14 (सी), दिनांक 15.01.1990 का पत्र सं. ई(जी) 85 क्यूआर 1-9 तथा दिनांक 12.11.2007 का पत्र सं. ई(जी) 2006 क्यूआर 1-14.

रेलवे बोर्ड के दिनांक 12.11.2007 के पत्र सं. ई(जी) 2006 क्यूआर 1-14 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें शैक्षिक आधार पर रेल आवास अपने पास रखने से संबंधित मामले की निम्नानुसार पुनरावृत्ति की गई थी;

"स्थाई स्थानांतरण के मामले में रेल आवास को अपने पास रखने की अनुमति चालू शैक्षिक सत्र के पूरा होने तक शैक्षिक आधार पर दी जाती है। अकादमिक/शैक्षिक सत्र को वार्षिक परीक्षा के समय समाप्त होने वाले अकादमिक पाठ्यक्रम के रूप में परिभाषित किया गया है। इस पहलू की पुनरीक्षा की गई है और बोर्ड के दिनांक 15.01.1990 के पत्र सं. ई(जी)85क्यूआर 1-9 में अंतर्विष्ट अनुदेशों में आंशिक आशोधन करते हुए यह विनिश्चय किया गया है कि रेल आवास को अपने पास रखने के प्रयोजन हेतु, अकादमिक/शैक्षिक सत्र की समाप्ति का अर्थ "वार्षिक परीक्षा का अंतिम पेपर जमा पंद्रह दिन का समय" होगा।

मौजूदा अनुदेशों की पुनरावृत्ति से संबंधित इस मामले पर डीसी/जेसीएम में मद सं. 2/2009 द्वारा विचार-विमर्श किया गया था तथा लिए गए निर्णय के अनुसार अनुदेशों की निम्नानुसार पुनरावृत्ति की जाती है;

"स्थाई स्थानांतरण के मामले में रेल आवास को अपने पास रखने की अनुमति शैक्षिक आधार पर केवल चालू शैक्षिक सत्र के पूरा होने तक (अर्थात् अकादमिक/शैक्षिक सत्र की समाप्ति) + 15 दिन के लिए दी जाती है। इस मामले में अकादमिक/शैक्षिक सत्र की समाप्ति का अर्थ "वार्षिक परीक्षा का अंतिम पेपर जमा पंद्रह दिन का समय" होगा।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

कृपया पावती दें।

(मदन लाल)
संयुक्त निदेशक, स्थापना (सामान्य)

ESST-E (G)